न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1008–तीन/98 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–2–98 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 348/अ–70/96–97.

1– पूरनलाल वल्द नौखेलाल साहू
2– केशवराव वल्द ख्याली साहू
दोनों निवासी डुंगरिया तीतरा,
तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा ——— आवेदकगण

विरूद्ध

मलूकचंद वल्द अमरलाल साहू,
निवासी डुंगरिया तीतरा,
तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा म0प्र0 ——— अनावेदक

श्री के0 के0 द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण.
अनावेदक – एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 1 – 9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के निगरानी प्रकरण कमांक 348/अ–70/96–97 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक मलूकचंद ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि उसके नाम पर ग्राम बुटरिया में खसरा नं. 281/2 रकबा 3.85 एकड़ भूमि भूमिस्वामी हक पर दर्ज है । उक्त भूमि का सीमांकन कराए जाने पर दिनांक 11–6–94 को यह पता चला कि उसकी उक्त भूमि में से 1 एकड़ पर आवेदक पूरनलाल द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है । अतः

उसने संहिता की धारा 250 के अंतर्गत विचारण न्यायालय में आवेदन पेश कि तथा दिनांक 20.6.94 को अंतरिम कब्जा दिलाए जाने बावत आवेदन पेश किया तब विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात आदेश पारित किया कि अनावेदक को विवादित भूमि का अंतरिम कब्जा आवेदक पूरनलाल सौंपें । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक पूरनलाल ने निगरानी अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष पेश की जिसे सुनवाई के पश्चात अपर कलेक्टर ने दिनांक 28–6–95 को खारिज की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो निगरानी मेमो में उल्लिखित किये गये हैं ।

4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 के अंतर्गत अवैध कब्जे के संबंध में भूमिस्वामी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर प्रांरभ हुआ है । विचारण न्यायालय ने जांच करके अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी में अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप से इंकार किया है। प्रकरण में मूल आपत्ति यह है कि सीमांकन के समय आवेदक को सूचना नहीं दी गई जबकि अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक को सीमांकन के समय उपस्थित माना है । आवेदक ने सीमांकन को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी तथा तथ्यों के आधार यह पाया गया है कि अनाधिकृत आधिपत्य का आवेदन 6 माह के अंदर दिया गया है इसलिए उसे हटाकर अंतरिम आधिपत्य दिया जा सकता है । प्रकरण में यह भी तर्क आवेदक का रहा है कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर आधिपत्य नहीं दिया जा सकता बल्कि वास्तविक आधिपत्य के आधार पर आदेश हों तभी आधिपत्य दिया जा सकता है । अधीनस्थ तीनों न्यायालयों इसको विधिसम्मत नहीं माना है और तथ्यों से परे बताया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालयों में आलोच्य भूमि से

संबंधित विवाद लंबित है किंतु मेरे समक्ष अभी तक कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है । वैसे भी यदि व्यवहार न्यायालय का आदेश है तो उसके अनुसार कार्यवाही की जा सकती है । दर्शित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

आवेदक को निर्देश दिए जाते हैं कि वे व्यवहार न्यायालय के जिन आदेशों का सहारा ले रहे हैं उन्हें वे तहसीलदार के समक्ष पेश करने हेतु स्वतंत्र हैं । तहसीलदार को निर्देश